

**उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर (छ०ग०)****द्वितीय अपील नंबर 51/2011****निर्णय सुरक्षित तिथि - 10/03/2021****निर्णय पारित दिनांक 22/03/2021**

मरियम बीबी पति हफीजुल हक, उम्र लगभग 52 वर्ष,
साकिन निवासी ग्राम बिल्हामा, पोस्ट बबोली, तहसील लुन्डा,
जिला- सरगुजा (छ०ग०)

... .. अपीलार्थी/वादी

-----०००० विरुद्ध ००००-----

1. कुतुबुद्दीन पिता रोजिद मियाँ, उम्र लगभग 44 वर्ष,
व्यवसाय- कृषि एवं बिजनेस, साकिन निवासी ग्राम बिल्हामा,
पोस्ट बबोली, तहसील लुन्डा, जिला- सरगुजा (छ०ग०)
2. श्रीमती ताजबुन बीबी पति रोजिद मियाँ, उम्र लगभग 72 वर्ष,
व्यवसाय- गृहणी, साकिन निवासी ग्राम बिल्हामा,
पोस्ट बबोली, तहसील लुन्डा, जिला- सरगुजा (छ०ग०)
3. छ०ग० राज्य द्वारा कलेक्टर अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०)

... .. प्रत्यर्थी/.प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री सुशील दुबे अधिवक्ता ।

प्रतिवादी की ओर से श्री डी०एन० प्रजापति अधिवक्ता ।

छ०ग० राज्य की ओर से श्री रवि भगत, उप शासकीय अधिवक्ता ।

माननीय जस्टिस श्री संजय के० अग्रवाल**सी०ए०वी० निर्णय**

{01} यह दूसरी अपील, जिसे वादी/अपीलकर्ता के द्वारा पेश किया गया था,
निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर सुनवाई के लिए स्वीकार की गयी है -

"१. क्या निचली अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में

सही थी कि विचारण न्यायालय का निर्णय गलत था, बिना

उपलब्ध साक्षियों के उचित मूल्यांकन किए ?

२. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक विधिक त्रुटि की, जब

उसने समय-सीमा के प्रश्न पर निर्णय लिया, जबकि यह विषय

विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया ही नहीं गया था ? "



(सुविधा के लिए, पक्षकारों को उनके विचारण न्यायालय में दर्ज स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जायेगा)

{02} पक्षकार मुस्लिम हैं। वादग्रस्त संपत्ति मूल रूप से रोजिद मियाँ के आधिपत्य की थी। वादी रोजिद मियाँ की पुत्री है जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 रोजिद मियाँ का पुत्र एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 उनकी माता एवं रोजिद मियाँ की विधवा है।

{03} वादी ने एक वाद स्वत्व की घोषणा, विभाजन एवं अन्तःकालिन लाभ के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया था जिसमें उसने यह अभिवचन किया था कि वादग्रस्त सम्पत्ति उनके पिता रोजिद मियाँ की स्वअर्जित संपत्ति थी इसलिए उनका इस संपत्ति पर अधिकार, स्वत्व और हित है, जिसके लिए उन्होंने राजस्व न्यायालय में नामांतरण के आवेदन पेश किया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया और अपील भी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वादी ने पहले ही अपने हिस्से का परित्याग कर दिया है क्योंकि उसे अपने पिता से 12 एकड़ भूमि दानपत्र दिनांक 16/09/1974 द्वारा प्राप्त हो चुकी है, जिसे उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था, अतः वह विभाजन और कब्जे के लिए पात्र नहीं है।

{04} प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 3 ने इस मामले का विरोध अपने लिखित बयान के माध्यम से किया, जिसमें यह कहा गया है कि रोजिद मियाँ ने, अपने जीवनकाल में, पहले ही प्रतिवादी क्रमांक 3 को 9.97 एकड़ भूमि पंजीकृत दानपत्र दिनांक 27/10/1959 द्वारा दे दी थी। रोजिद मियाँ की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 ने शेष भूमि पर अपने नाम राजस्व अभिलेखों में उसके उत्तराधिकारी के रूप दर्ज करा लिए, जो वादी के संज्ञान में था। उन्होंने आगे यह अभिवचन किया कि वादी को उसकी 4.747 एकड़ भूमि का हिस्सा, साथ ही कुछ नकद राशि और सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे और उसने पहले ही, वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार का त्याग परित्याग पत्र दिनांक 25.02.1989 प्रदर्श डी 1 के माध्यम से कर दिया था। अतः इस संपत्ति में वह किसी भी हिस्से की हकदार नहीं है।

{05} विद्वान विचारण न्यायालय ने कुल 7 वादप्रश्न विरचित कर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन पश्चात, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, वाद को अंशतः स्वीकार किया। अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 28/03/2006 में वादी के पक्ष में



यह निर्णय दिया कि वादी को वादग्रस्त संपत्ति में प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 के समान की बराबर का अधिकार प्राप्त हैं और संपत्ति के विभाजन के लिए डिक्री जारी की गई।

{06} प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 96 के तहत अपील किए जाने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 12/10/2010 में यह माना कि 25/02/1989 को निष्पादित त्यागपत्र (Relinquishment Deed) (प्रदर्शनी डी 1) के आधार पर वादी ने पहले ही वादग्रस्त संपत्ति में अपने अधिकारों को छोड़ दिया था। साथ ही, यह भी माना गया कि उक्त वाद सीमाबद्धता (Limitation) के आधार पर समय-सीमा से बाहर है, जिसके विरुद्ध वर्तमान दूसरी अपील वादी द्वारा दायर की गई है। इस अपील में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाए गए हैं, जिन्हें निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में दर्शाया गया है।

{07} श्री सुशील दुबे, जो अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने दो मुख्य तर्क प्रस्तुत किए। पहला, यह कि वादी द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित किया गया तथाकथित त्यागपत्र (प्रदर्शनी डी 1) मात्र एक शपथपत्र है, और शपथपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य नहीं माना जाता है, और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही, जब किसी उचित कारण के होने पर न्यायालय व्य.प्र.सं. के आदेश 19 नियम 1 और 2 के तहत आदेश पारित करे तब, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती सुधा देवी बनाम एम.पी. नारायणन और अन्य¹

के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया गया। दूसरा, वादी का वाद परिसीमा द्वारा बाधित होने का अभिवचन तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए था जो नहीं उठाया गया, एवं इसलिए इसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया गया। अतः प्रथम अपील न्यायालय परिसीमा के अभिवचन को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई आधार नहीं रखा गया था और वादी को परिसीमा के अभिवचन का उत्तर देने का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह वाद विभाजन के लिए है और यह परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 113 द्वारा शासित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत नामांतरण के लिए आवेदन 30/09/2002 को तहसीलदार द्वारा अस्वीकार कर दिया

¹ (1998) 3 SCC 366



गया और इसके बाद, उसकी अपील 31/07/2003 को अंबिकापुर के उप-खण्डीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद वाद दिनांक 10/03/2004 को पेश किया गया, जिसे सीमा द्वारा बाधित नहीं माना जा सकता। अतः प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाना चाहिए।

{08} श्री डी.एन. प्रजापति, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि वादी ने वादग्रस्त सम्पत्ति के अपने हिस्से को, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3 के पक्ष में, पहले ही परित्याग पत्र प्रदर्श डी 1 के माध्यम से कर दिया है और इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को सही ही पलट दिया और अपील को स्वीकार करते हुए वाद को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि क्योंकि वाद परिसीमा द्वारा बाधित था अतः परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत परिसीमा का अभिवचन किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है भले ही वह प्रथम अवसर पर विचारण न्यायालय के समक्ष न उठाया गया हो। अतः यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{09} मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं, उनके प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का पूरी सतर्कता के साथ अवलोकन किया।

विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर :-

{10} विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने प्रदर्श डी 1 पर भरोसा करते हुए वादी के वाद को अमान्य (Non-suit) करार दिया है। प्रदर्श डी 1 के सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह एक शपथ पत्र है, जिसे कथित रूप से वादी मरियम बीबी द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसके माध्यम से वादी ने वादग्रस्त संपत्ति में अपने हिस्से को अपनी माँ, अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में दिनांक 25/02/1989 को त्याग दिया था। इसलिए, यह माना गया कि वादी को वादग्रस्त संपत्ति में किसी भी हिस्से का अधिकार नहीं है। प्रदर्श डी 1 का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक शपथपत्र है, जिसे वादी द्वारा कथित रूप से शपथ लेकर दिया गया था।



{11} सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती सुधा देवी बनाम अन्य (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि शपथ पत्र (Affidavit) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत 'साक्ष्य' (Evidence) नहीं माना जा सकता। यह केवल तभी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब न्यायालय व्य.प्र.सं. के आदेश 19 नियम 1 या 2 के तहत कोई आदेश पारित करे। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि मात्र शपथपत्र (प्रदर्श डी 1) के आधार पर वादी ने वादग्रस्त संपत्ति में अपने हिस्से को अपने भाई और माँ (प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3) के पक्ष में त्याग दिया है और शपथपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं हो सकता।

{12} इसके अलावा, यदि प्रदर्श डी 1 को त्याग विलेख मान भी लिया जाए, तो यल्लापु उमा महेश्वरी बनाम बुद्ध जगदीश्वरराव² के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अचल संपत्ति से संबंधित त्याग विलेख को विधिक रूप से पंजीकृत करना अनिवार्य है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(बी) के अनुसार, यदि किसी दस्तावेज का पंजीकरण नहीं किया गया है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे निम्नलिखित रूप में माना जाएगा :-

"15. प्रदर्श बी-21 और बी-22 को विस्तृत रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि, यह एक हक त्याग का मामला है, जो एक अचल संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जो पंजीकरण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि इसे पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो यह अग्राह्य दस्तावेज बन जाता है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में परिकल्पित किया गया है। प्रदर्श बी-21 और बी-22 ऐसे दस्तावेज हैं जो निश्चित रूप से पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(बी) के अन्तर्गत आते हैं और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज हैं और वे विभाजन के तथ्य को साबित करने के उद्देश्य से साथ में अग्राह्य हैं। हम इस राय के हैं कि प्रदर्श बी-21 और बी-22 विभाजन के प्रारंभिक उद्देश्य को साबित करने के साक्ष्य के तौर पर अग्राह्य हैं।



{13} प्रथम अपीलीय न्यायालय पूरी तरह से अनुचित था जब उसने यह निर्णय दिया कि वादी ने अपनी संपत्ति में अपने भाई और माँ (अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 1 और 3) के पक्ष में अपने अधिकार को त्याग दिया है, और इस निर्णय के लिए प्रदर्श डी 1 अर्थात् शपथपत्र अपंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा किया। यह शपथपत्र कथित रूप से यह प्रमाणित करता है कि वादी ने संपत्ति में अपने अधिकार को प्रतिवादीगण के पक्ष में छोड़ दिया था। इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष निरस्त किया जाता है।

विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर:-

{14} यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा परिसीमा संबंधित कोई वादप्रश्न विरचित नहीं किया गया था, हालांकि प्रथम अपील न्यायालय ने इस वाद को परिसीमा द्वारा बाधित होने के कारण अस्वीकार कर दिया। यह स्वीकृत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विभाजन और कब्जे के लिए है।

{15} विचारणीय प्रश्न यह होगा कि विभाजन के लिए वाद प्रस्तुति हेतु विहित परिसीमा क्या होगी?

{16}. विधायिका ने विभाजन के लिए वाद पेश करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की है, क्योंकि विभाजन संपत्ति से संबंधित एक घटना होती है और जब कोई सह-स्वामी यह तय करता है कि वह अपनी संपत्ति अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त रूप में नहीं रखना चाहता, तभी विभाजन का दावा किया जाता है अतः सम्पत्ति के सह-स्वामी के द्वारा विभाजन हेतु कार्यवाही का आधार हमेशा बने रहता है। चूंकि वाद प्रस्तुत करना पूरी तरह से सह-स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए विधायिका द्वारा परिसीमा अवधि, खासकर वह तिथि या समय जब से यह अवधि शुरू होगी, तय नहीं की जा सकती। **(देखें:-विद्या देवी उर्फ विद्यावती (मृतक) द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधिगण बनाम प्रेम प्रकाश एवं अन्य³)**

{17} संयुक्त परिवार से अलगाव, जिसमें प्रस्थिति की समाप्ति और इसके सभी कानूनी परिणाम शामिल होते हैं, संयुक्त संपत्ति के विशिष्ट हिस्सों में वास्तविक विभाजन से पूरी तरह भिन्न होती है। पहला मामला एक व्यक्तिगत निर्णय का होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने अब तक अनिर्दिष्ट और अनिश्चित हिस्से को अन्य सदस्यों से अलग करके स्वतंत्र रूप से



उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करता है। जबकि दूसरा परिणामस्वरूप उसके निर्णय का स्वाभाविक परिणाम होता है, जिसमें उसके हिस्से का विभाजन और पृथक्करण शामिल होता है, जो कि निजी समझौते या पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थता या अंततः न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, प्रस्थिति के पृथक्करण को अंश के आवंटन से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई सदस्य स्पष्ट और निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट करता है और इसे उन अन्य परिवार के सदस्यों को ज्ञात करा देता है, जिनसे वह अलग होना चाहता है, तो प्रस्थिति में विभाजन हो जाता है। संचार की यह प्रक्रिया प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। विभाजन के लिए वाद पेश करना इस आशय की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। हालांकि, निर्णय आवश्यक हो सकता है ताकि पृथक्करण के परिणामों को लागू किया जा सके और निश्चित हिस्से आबंटित किए जा सकें, लेकिन वादी की संपत्ति में पृथक स्थिति, अपना अधिकार अलग करने के दावे के संबंध में, उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति के कारण होती है चाहे उसे परिणामस्वरूप निर्णय प्राप्त हो या नहीं। (देखें :-

नानक चंद एवं अन्य विरुद्ध चंद्रकिशोर एवं अन्य⁴)

{18} विभाजन का व्यापक अर्थ एक विभाजन से है, जिसके द्वारा प्रत्येक सहभागीदारी का हिस्सा सभी या किसी भी संयुक्त संपत्ति में निर्धारित किया जाता है, और एक बार जब हिस्से निश्चित हो जाते हैं, तो पारिवारिक पृथक्करण या विघटन पूरा हो जाता है। लेकिन जब 'हिस्से निर्धारित' हो जाते हैं, तो पक्ष यह चुन सकते हैं कि या तो वे 'अपने हिस्से का सीमांकन कर लें' या फिर साथ में रहें और पहले की तरह अपनी संपत्ति का सामूहिक रूप से उपभोग करें। संयुक्त स्वामित्व तब तक कब्जे और सामान्य उपभोग में बना रहता है जब तक कि भौतिक विभाजन उस समय की प्रस्थिति के अनुसार नहीं हो जाता, जिस समय प्रस्थिति का विभाजन हुआ था। रघुनाथ दास विरुद्ध गोकलचंद एवं अन्य⁵ के मामले में, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है कि ऐसे भौतिक विभाजन के लिए पेश किया गया वाद परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 120 (1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113) द्वारा शासित होता है और ऐसा वाद अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 113 के तहत जब वाद करने का अधिकार उत्पन्न होता है उसके तीन वर्षों के भीतर

4 AIR 1982 Delhi 520

5 AIR 1958 SC 827



वाद पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में मुख्य प्रश्न यह होता है कि वाद का अधिकार कब उत्पन्न होता है। जब तक किसी अधिकार का हनन नहीं होता या प्रतिवादी द्वारा उस अधिकार के उल्लंघन की स्पष्ट और असंदिग्ध धमकी नहीं दी जाती, तब तक वाद का कोई अधिकार नहीं हो सकता।

{19} सैय्यद शाह गुलाम घोष मोहिउद्दीन बनाम सैय्यद शाह अहमद मोरिद्दीन कामीसूल कादरी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य⁶ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि संपत्तियों के बंटवारे का कारण "निरंतर पुनरावृत्त होने वाला" होता है।

{20} इस प्रकरण की परिस्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा पेश किया गया बंटवारे का वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था, विशेष रूप से जब सीमा की आपत्ति को स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया था। इस मामले में, वादी का नामांतरण आवेदन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30/09/2001 को अस्वीकार कर दिया गया था और दिनांक 31/07/2003 को उप-खण्डिय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 10/03/2004 को बंटवारे हेतु पेश किया गया है परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता

{21} अब, अगला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय के निर्णय को ज्यों-का-त्यों बहाल किया जा सकता है, या उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि विचारण न्यायालय डिक्री प्रदान करने का निर्णय केवल यह कहता है कि वादी विधि के अनुसार विभाजन द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में अपने हिस्से के लिए पात्र है। सैय्यद शाह गुलाम घोष मोहिउद्दीन बनाम सैय्यद शाह अहमद मोरिद्दीन कामीसूल कादरी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य(उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि मुस्लिम विधि में, अंशतः विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि उत्तराधिकारी समान रूप से अधिभोगी होते हैं और मृतक मुस्लिम के उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के हर हिस्से के उत्तराधिकारी होते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकारियों के हिस्से निश्चित अंशों में होते हैं और वास्तविक विभाजन से पहले ही ज्ञात होते हैं। इसलिए, किसी मृतक मुस्लिम की



संपत्ति के विभाजन में, यह पहले से ही विधि द्वारा निर्धारित विशेष अंशों के अनुसार प्रत्येक वारिश के हिस्से को सीमाओं के साथ विभाजित किया जाता है।

{22} मामले में संबंधित पक्ष सुन्नी मुस्लिम हैं और वे 'हनीफी उत्तराधिकार कानून' से शासित आते हैं। हनीफी उत्तराधिकार कानून के अनुसार, उत्तराधिकारी तीन श्रेणियों में विभाजित होते हैं, जिन्हें "प्रिंसिपल्स ऑफ़ मोहम्मडन लॉ" (Sir Dinshaw Fardunji Mulla, 20वां संस्करण) के अध्याय VII, पृष्ठ 64 से लिया गया है:

क - उत्तराधिकारियों की तीन श्रेणियाँ

61. उत्तराधिकारियों की श्रेणियाँ - उत्तराधिकारियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं:

1. हिस्सेदार (Sharers) 2. अवशिष्ट उत्तराधिकारी (Residuaries) 3. दूरस्थ नातेदार (Distant Kindred) :-

1. "हिस्सेदार" वे होते हैं जिन्हें संपत्ति में विहित अंश प्राप्त करने का अधिकार होता है।

2. "अवशिष्ट उत्तराधिकारी" वे होते हैं जो विहित अंश नहीं लेते, लेकिन "अवशेष" (residue) के उत्तराधिकारी होते हैं, जब हिस्सेदारों का दावा पूरा हो जाता है।

3. "दूरस्थ नातेदार" वे सभी रक्त-संबंधी होते हैं, जो न तो हिस्सेदार होते हैं और न ही अवशिष्ट उत्तराधिकारी।

{23} विद्वान लेखक ने आगे कहा है कि यदि कोई हिस्सेदार नहीं होते, तो अवशिष्ट उत्तराधिकारी पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। यदि न तो हिस्सेदार होते हैं और न ही अवशिष्ट उत्तराधिकारी, तो संपत्ति दूरस्थ नातेदारों में विभाजित कर दी जाएगी, जिन्हें उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है।

{24} "हिस्सेदार" की परिभाषा को लेखक ने अध्याय VII, पृष्ठ 65 पर इस प्रकार वर्णित किया है:

ख - हिस्सेदारों



63. **हिस्सेदार** – अंतिम संस्कार खर्च, ऋणों और वसीयतों के भुगतान के बाद, एक मृत मुस्लिम की संपत्ति के वितरण में पहला कदम यह निर्धारित करना है कि जीवित रिश्तेदारों में से कौन हिस्सेदार की श्रेणी में आता है और उनमें से कौन संपत्ति में हिस्से का अधिकारी है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उनकी परिस्थितियों के अनुसार, संबंधित हिस्सेदारों को उनका हिस्सा सौंपा जाता है।

{25} सुन्नी कानून के अनुसार "हिस्सेदारों" की सूची को विद्वान लेखक ने अध्याय VII, पृष्ठ 66A पर निर्दिष्ट किया है, इसमें प्रतिवादी क्रमांक 3 अर्थात् रोजिद मियां की पत्नी को हिस्सेदार माना गया है, जो निम्नानुसार है-

यह दस्तावेज़ इस्लामी सुन्नी कानून के तहत उत्तराधिकार में हिस्सेदारों (Sharers) की तालिका प्रदान करता है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:-

हिस्सेदारों की तालिका - सुन्नी कानून

(1) हिस्सेदार	(2) सामान्य हिस्सा		(3)	(4) यह स्तंभ बताता है:
	(a) अकेले का हिस्सा	(b) दो या अधिक लोगों का सामूहिक हिस्सा	शर्तें जिनके अंतर्गत सामान्य हिस्सा विरासत में प्राप्त होता है।	(A) विशेष परिस्थितियों में कुछ हिस्सेदार क्रमांक 3, 4, 5, 8 एवं 12 के हिस्से कैसे बदलते हैं। (B) वे शर्तों जिनमें कुछ हिस्सेदारों क्रमांक 1, 2, 7, 8, 11 एवं 12 'अवशिष्ट उत्तराधिकारी' के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं।
1. xxx	xxx xxx	xxx	xxx	xxx
2. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3. xxx	1/8	xxx	xxx	1/4 (जब कोई संतान या पोता न हो)



4.(पत्नी)		1/8	(जब कोई संतान या पोता हो)	
-----------	--	-----	------------------------------	--

{26} अगला उत्तराधिकारी वर्ग **अवशिष्ट उत्तराधिकारी** (Residuaries) कहलाता है, जिसकी परिभाषा विद्वान लेखक ने अध्याय VII, पृष्ठ 72 में दी है जो निम्नानुसार हैं-

ग. - अवशिष्ट उत्तराधिकारी

65. **अवशिष्ट उत्तराधिकारी** - यदि कोई हिस्सेदार नहीं हैं, या यदि हिस्सेदार हैं लेकिन उनके दावों को पूरा करने के बाद कोई बचा हुआ हिस्सा शेष रह जाता है, तो पूरी संपत्ति या जो कुछ भी शेष बचता है, वह क्रमवार रूप से **अवशिष्ट उत्तराधिकारी** को मिलता है, जैसा कि संलग्न तालिका (पृष्ठ 74A) में उल्लिखित है।

{27} **अवशिष्ट उत्तराधिकारी** के अधिकारों को पवित्र कुरान और पैगंबर की परंपराओं द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मान्यता दी गई है। इसके बारे में विद्वानों द्वारा बताए गए कुछ अंश निम्नलिखित हैं (पृष्ठ 73 से उद्धृत):

"पवित्र कुरान कहता है"

"जो कुछ माता-पिता और निकट नातेदार द्वारा छोड़ा गया है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक निश्चित हिस्सा निर्धारित है, चाहे संपत्ति थोड़ी हो या अधिक।"

"हर व्यक्ति (के लाभ) के लिए हमने निश्चित हिस्से और उत्तराधिकारियों को माता-पिता और निकट संबंधियों की संपत्ति से निर्धारित किया है।"

"अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान के बारे में निर्देश देता है: पुरुष को स्त्री के मुकाबले दो गुना भाग मिलेगा।"

"वे तुमसे एक कानूनी निर्णय के बारे में पूछते हैं। कहो: अल्लाह उन लोगों के बारे में निर्देश देता है, जिन्होंने कोई संतान या पूर्वज उत्तराधिकारी के रूप में नहीं छोड़े हैं। यदि कोई पुरुष मर जाए और उसकी एक बहन हो लेकिन कोई संतान न हो, तो वह बहन उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा पाएगी। यदि कोई स्त्री मर जाए और उसकी कोई संतान न हो, तो उसका भाई उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यदि वे भाई-बहन दोनों हैं, तो पुरुष को महिला के मुकाबले दो गुना हिस्सा मिलेगा।"

{28} हिस्सेदारों के दावे को संतुष्ट करने के बाद जो संपत्ति बचती है, उनके विषय में विद्वान लेखक ने निम्नलिखित दृष्टांत के माध्यम से दर्शाया गया है:-



दृष्टांत

(नोट: हिस्सेदारों के दावों को पूर्ण करने के बाद अवशिष्ट संपत्ति को निम्नलिखित उदाहरणों में दिखाया गया है।)

क्रमांक 1 – पुत्र और पुत्रियां

(क) पुत्र – $2/3$ (अवशिष्ट उत्तराधिकारी के रूप में)

(ख) पुत्री – $1/3$

नोट: यदि पुत्र मौजूद है तो पुत्री हिस्सेदार के रूप में संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन यदि हिस्सेदार के रूप में केवल एक पुत्री और एक पुत्र का पुत्र (पोता) है, तो पुत्री को हिस्सेदार के रूप में $1/2$ हिस्सा मिलेगा और शेष $1/2$ हिस्सा पोते को अवशिष्ट उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होगा।

{29} जैसा पृष्ठ 74 ए में विद्वान लेखक द्वारा सुन्नी कानून को जैसा दर्शाया गया है, तालिका उत्तराधिकार की क्रमबद्धता में 'अवशिष्ट उत्तराधिकारियों' की सूची दी गई है, –

तालिका:– अवशिष्ट उत्तराधिकारियों की उत्तराधिकार की क्रमबद्ध में सूची –

सुन्नी कानून

I. – वंशज:

1. पुत्र

यदि पुत्री और पुत्र दोनों उत्तराधिकारी हैं, तो पुत्री को अवशिष्ट उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र के साथ संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, जहां पुत्र को पुत्री से दोगुना हिस्सा प्राप्त होगा।

{30} प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, उपरोक्त उल्लेखित हिस्से के प्रकाश में हनिफी उत्तराधिकार कानून के अनुसार पक्षकार कितने हिस्सों के हकदार हैं। वर्तमान प्रकरण में, स्वर्गीय रोजिद मियां की विधवा, जो कि प्रतिवादी क्रमांक 3 हैं, संपत्ति का $1/8$ हिस्सा, हिस्सेदार के रूप में, प्राप्त करेगी। जहाँ तक शेष $7/8$ हिस्से का प्रश्न है, वादपत्र में संलग्न अनुसूची ए में दर्शित वादग्रस्त भूमि के $7/8$ हिस्से में से, प्रतिवादी क्रमांक 1, जो कि रोजिद मियाँ का पुत्र है, वह $2/3$ हिस्से प्राप्त करने का अधिकारी होगा और वादी जो कि



रोजिद मियाँ की पुत्री है, उसे 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा । तदनुसार विचारण न्यायालय की डिक्री को संशोधित किया जाता है ।

{31} परिमाणमस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय का निर्णय उपरोक्त वर्णित सीमा अनुसार पुनः स्थापित किया जाता है ।

{32} द्वितिय अपील को उपरोक्त वर्णित सीमा तक स्वीकार किया जाता है । कोई व्यय नहीं

{33} तदनुसार डिक्री तैयार की जाए और वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'A' को डिक्री का हिस्सा बनाया जाए ।

सही/-

(संजय के० अग्रवाल)

न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।